ऑन लाईन नं. RCMS 2016/000157

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 47/2016

1. जगरूप सिंह पुत्र श्री रामसिंह उर्फ अंग्रेजसिंह जाति जटसिख साकिन 36 आर. बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जसपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 36 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. रूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रधुवीर सिंह जाति जटसिख साकिन 36 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. करणी सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन 36 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान–जरिये तहसीलदार राजस्व, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर दिनांक 30.10.2015 जिसकी रूह से इन्तकाल तस्दीक किया गया बमुराद मन्सूख है।

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री विरेन्द्र कुमार सिंहाग5 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

::आदेश :: दिनांक :–31.08.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है तथा दौबारा गौर मिसल के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना चाहिए था कि राम सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह द्वारा उपरोक्त रकबा की वसीयत दिनांक 30.08.1993 को की थी इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल किया है जब कि राम सिंह उर्फ अंगेजसिंह द्वारा दिनांक 31.03.1970 को अपीलांट के हक में तमलीकनामा कर दिया तो 1993 में वसीयत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया गया। जिस वसीयत का हवाला दिया जा रहा है वह वसीयत राम सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह ने अपने जीवनकाल में खारिज करवा दी थी। उस वसीयत के आधार पर कानूनन इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी नियम की पालन नहीं किया तथा इन्तकाल रोकने के लिए राजभूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 23.06.2015 को जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र पर भी कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया ओर ना ही अपीलांट को सबूत व साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया बिना अपीलांट को सुने व मौका दिये ही आदेश पारित करके कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य मौजूद थे कि इस जमीन को लेकर मामला व विवाद चल रहा है लेकिन बिना किसी आधार पर अधीनस्थ न्यायलाय ने आदेश पारित करके कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य मौजूद थे कि इस जमीन को लेकर मामला व विवाद चल रहा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है लेकिन बिना किसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करके कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित किये है। इस वजह से इस आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी। अपीलांट को इसकी जानकारी अब पटवारी हल्का से मिली कि इस आदेश के खिलाफ अपील हो चुकी है तथा इसकी नकल नहीं मिल सकती तथा रिकॉर्ड श्रीगंगानगर में भेजा गया है तो अपीलांट द्वारा श्रीगंगानगर में आकर नकल की दरखवास्त दिनांक 09.05.2016 को दी। नकल मिलते ही अपीलांट अपील तैयार करवाकर इस न्यायालय में पेश कर रहा है जो ईल्म से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि तहसीलदार राजस्व पदमपुर का आदेश दिनांक 30.10.2015 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट की खरीद शुद्वा भूमि का इन्तकाल अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस वसीयत के आधार पर अपीलांट इन्तकाल दर्ज करवाना चाहता है उसमें सीजेएम श्रीगंगानगर द्वारा चार्जशीट जारी कर दी गई है। अधिवक्ता अपीलांट का यह ऐतराज की वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व सुना नहीं गया कतई सत्य नहीं है क्योंकि सबको नोटिस जारी किये गये है एवं प्रचलित अखबार लोकसम्मत् एवं जनमार्ग जो कि जिला श्रीगंगानगर में जारी होते है में उक्त नोटिस साया करवाया गया है। वसीयत दिनांक 30.08.1993 को माननीय हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा भी रिट पेटीशन संख्या 605/1999 में सही माना गया है। अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि राम सिंह उर्फ अंगेजसिंह द्वारा दिनांक 31.03.1970 को अपीलांट के हक में तमलीकनामा कर दिया तो 1993 में वसीयत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वसीयत स्वतः ही निरस्त हो जाती है। तमलीकनामा विधवा, विकलांग या अन्य किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी को सम्भाल नहीं सकता तो उसकी सारसम्भाल के लिये तमलीकनामा किया जाता है ना कि किसी प्रोपर्टी को ट्रांस्फर करने का अधिकार तमलीकनामा से प्राप्त होता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 को बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निम्न नजीरे पेश की हैः–

1. आर.आर.डी. 1997 पेज– 136 से 138

(C) Tamliknama-"Tamliknama"does not extinguish the rights of the assessee-It does not amount to transfer of tiltle-It is merely amaintenance deed wherein the proprietary rights are retained by the transferor -No relief can be given.
Tamliknama"does not amount to transfer as per the provisions of the Transfer of Property Act because it is merely a maintenance deed.

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना चाहिए था कि राम सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह द्वारा उपरोक्त रकबा की वसीयत दिनांक 30.08.1993 को की थी इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल किया है जब कि राम सिंह उर्फ अंगेजसिंह द्वारा दिनांक 31.03.1970 को अपीलांट के हक में तमलीकनामा कर दिया तो 1993 में वसीयत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया गया जिस वसीयत का हवाला दिया जा रहा है वह वसीयत राम सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह ने अपने जीवनकाल में खारिज करवा दी थी। उस वसीयत के आधार पर कानूनन इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी नियम की पालन नहीं किया। इन्तकाल रोकने के लिए राजभूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 23.06.2015 को जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र पर भी कोई गौर नहीं किया। अपीलांट का सीलिंग

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधीन के तहत मामला चला था जिसे राज्य सरकार द्वारा बहाल कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो विधिवत् नोटिस जारी किये, ना ही सही नाम अखबार में छाया किया गया जिस अखबार में छाया करवाया गया वह ना तो किसी गांव में जाता है ना ही उसका अखबार का अपीलांट को पता चला। इसलिए अदालत मातहत द्वारा जल्दबाजी से आदेश पारित किया गया है।आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जो नोटिस जारी किया गया उस पर तामील कुन्निदा की रिपोर्ट अनुसार नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया जिस पर किसी गवाह या अन्य किसी मौजीज व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नहीं है। इसलिए उक्त तामील विधिवत् नहीं करवाई गई है। अपीलांट द्वारा उक्त विवादित वसीयत के आधार पर इन्ताकल की कार्यवाही किये जाने से पूर्व जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पदमपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर दिनांक 30.06.2015 वसीयत के आधार पर जो इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं सुनवाई की जाकर पारित किया गया है क्योंकि जिस वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया गया उसकी अपील अपीलांट जगरूप सिंह द्वारा अपील प्रकरण संख्या 05/2016 अनवानी जगरूप सिंह बनाम स्टेट व अन्य में सुनवाई बाबत अपनाई गई समस्त कार्यवाही का विवरण अंकित किया गया है। जहां तक तमलीकनामा का प्रश्न है। तमलीकानामा से किसी का भी किसी प्रोपर्टी के बारे में अधिकार प्राप्त नही होते है जैसा कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर से साबित होता है। उक्त नजीर उक्त प्रकरण पर पूर्ण से चस्पा होनी पाई जाती है।

1. आर.आर.डी. 1997 पेज– 136 से 138

(C) Tamliknama-"Tamliknama"does not extinguish the rights of the assessee-It does not amount to transfer of tiltle-It is merely *amaintenance deed wherein the proprietary rights are retained by the* amaintenance deed wherein the proprietary rights are retained by the transferor -No relief can be given.
Tamliknama"does not amount to transfer as per the provisions of the Transfer of Property Act because it is merely a maintenance deed.

अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि वसीयत दिनांक 30.08.1993 खारिज करवा दी गई थी, मगर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा वसीयत दिनांक 30.08.1993 खारिज करवाई गई के बाबत कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है। इसलिए अपीलांट का कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि वसीयत दिनांक 30.08.1993 खारिज करवा दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर वसीयत दिनांक 30.06.1983 के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने से पूर्व सभी वारिसान को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जाना प्रमाणित होता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर का आदेश दिनांक 30.10.2015 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)